GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.2018/E(O)II/14/78 New Delhi, dated 13 .06.2018

The General Managers,
All Indian Railways and
Production Units.
DG/RDSO, Lucknow.

Sub: Participation of IR officers in international fairs/exhibitions/workshops and conferences- Adherence to Government policy-

Instances have come to notice in which IR officers desirous of attending international fairs/exhibitions/workshops/conferences, have sought and obtained a slot from the Organizers to speak at the event and thereafter sought Government funding of the foreign visit.

2. Extant instructions of the Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) stipulate that proposals for participation in conferences/seminars/conventions/workshops/study tours/presentation of papers abroad at Government cost will not be entertained except those that are fully funded by sponsoring/inviting organizations which may be considered keeping in mind the public interest and Government business at home. Further, invitations received directly by the officers by virtue of expertise in a particular field and where no particular Government of India business is to be transacted will be treated as personal visits. Such visits in respect of Additional Secretary and above level officers require SCoS approval. The officer would have to take leave for the period of such visits and such visits are not to be undertaken at government cost.

3. In the light of the above instructions, Board has decided that officers who desire to attend international conference etc. on their volition should either take prior approval for official funding, which will be processed in terms of Ministry of Finance's extant instructions, **or** take ex-India leave and go at their own cost. Government sponsorship for such international fairs/exhibitions/workshops and conferences cannot be taken for granted. These instructions may be brought to the notice of all concerned and adhered to in dealing with such cases.

(K. Gangadharan)
Director (Deputation)
Railway Board

Copy to:

1. PSOs/Sr.PPS to CRB, FC, MT, ME, MRS, MTR, MS, DG/Pers, DG/RS, DG/S&T, DG/RPF and DG/RHS
2. All Additional Members & PEDs/Railway Board
3. All Executive Directors of Railway Board
4. All officers and Branches/Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAY

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2018/ई(ओ)II/14/78 नई दिल्ली, दिनांक 13.06.2018

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और
उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक/अ.अ. एवं मा.सं., लखनऊ.

विषय: भारतीय रेल के अधिकारियों का अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सरकारी नीति का अनुपालन करना।

ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भाग लेने के इच्छुक भारतीय रेल के अधिकारियों ने आयोजक से कार्यक्रम में बोलने के लिए समय निर्धारित करने की मांग की है और उनके लिए समय निर्धारित किया गया है और उसके बाद उन्होंने विदेश भ्रमण के लिए सरकार से धन की व्यवस्था करने की मांग की है।

2. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के मौजूदा अनुदेशों में निर्धारित है कि ऐसे विदेशी सम्मेलनों/सेमिनारों/सभाओं/कार्यशालाओं/अध्ययन भ्रमणों/दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण में सरकारी खर्च पर भाग लेने के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह आयोजक/आमंत्रण देने वाले संगठन द्वारा पूर्ण रूप से प्रायोजित न हो और ऐसे प्रस्तावों पर जनहित और स्वदेश में सरकारी व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि अधिकारियों द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से आमंत्रण प्राप्त हो और जिसका भारत सरकार का किसी खास व्यवसाय का संबंध न हो, उसे निजी दौरे के रूप में माना जाएगा। अपर सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को ऐसे दौरों के मामलों में एससीओएस का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। अधिकारी को ऐसे दौरों की अवधि के लिए छुट्टी लेनी होगी और ऐसे दौरे सरकारी खर्च पर नहीं किए जाएंगे।

3. उपर्युक्त निर्देशों के आलोक में बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि जो अधिकारी अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सरकारी धन की व्यवस्था के लिए पूर्व अनुमति लेनी चाहिए जिस पर वित्त मंत्रालय के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी अथवा उन्हें भारत से बाहर जाने के लिए छुट्टी लेनी होगी और अपने स्वयं के खर्च पर जाना होगा। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों/कार्यशालाओं और सम्मेलनों के

सरकारी प्रायोजन को स्वीकृत नहीं माना जा सकता है। इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और ऐसे मामलों का निपटान करने के लिए इनका पालन किया जाए।

(के. गंगाधरन)
निदेशक (प्रतिनियुक्ति)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य यातायात, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य चल स्टॉक, सदस्य कर्षण, सदस्य कार्मिक, महानिदेशक/कार्मिक, महानिदेशक/रेल भंडार, महानिदेशक/सिगनल एवं दूरसंचार, महानिदेशक/रेसुब और महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं के प्रधान स्टाफ अधिकारी/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. सभी अपर सदस्य और प्रधान कार्यपालक निदेशक/रेलवे बोर्ड
3. सभी कार्यपालक निदेशक, रेलवे बोर्ड
4. सभी अधिकारी एवं शाखाएं, रेलवे बोर्ड